

136334/2023

136334/2023

4/14/23

2903

2127

MD
13/7/23

ई फाइल संख्या 47605-

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

SSO(P) II

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

AO(P-I)

इं० जीवज सिंह ह्यांकी
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत विभिन्न 07 निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये सलग्न तालिका में वर्णित विस्तृत आगणनों, मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 6.300 किमी० एवं लागत ₹ 518.44 लाख, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 451.00 लाख (₹ चार करोड़ इक्यावन लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 010. लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 07 कार्यों हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व Cement Stabilization कार्य हेतु Job Mix Formula के अनुसार Cement की मात्रा निर्धारित की जाये तथा MORTH Specification के Clause 403 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा

023

प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

- ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017- एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
 - xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखापीपक5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय04- जिला तथा अन्य सड़कें337- सड़क निर्माण कार्य03- राज्य सेक्टर0302- नया निर्माण कार्य53- वृहद निर्माण 5054-04-800-03-02)) के नामें डाला जायेगा।
- 3- ये आदेश वित्त अनुभाग2- कम्प्यूटर जनित संख्या- I/135306 /2023 दिनांक 06 जुलाई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 10-07-2023 13:25:35
Reason: Approved

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा .मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग2-, उत्तराखण्ड शासन।

023

9. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, प्रा0ख0, रूद्रपुर।।
10. अधिशासी अभियन्ता, नि0.खण्ड, लो .नि .वि., काशीपुर।
11. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

E- FILE No- 47605 का संलग्नक

धनराशि लाख रु. में

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रु0 में)	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर में एन0एच0-74 पर सेटी पेट्रोल पम्प से शुगर मिल तक मार्ग सुदृढीकरण/पुनःनिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.200	200.83	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर में दढियाल रोड़ से खोखरादेवी मंदिर होते हुए प्रकाश सिटी गेट तक मार्ग का सुदृढीकरण/पुनः निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	2.400	104.96	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर के अन्तर्गत ग्राम रामनगर काशीपुर में राजवीर के घर से खिलेन्द्र के घर तक सी0सी0 टाईल मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.500	34.06	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर में सत्यधाम मंदिर के पीछे से बलवीर सिंह संधू की आबादी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	28.87	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर के अन्तर्गत ग्राम गंगापुर गोसाई में संधू होटल के सामने मुख्य मार्ग से शोभा के घर के पास टी प्वाइंट तक सी0सी0 टाईल मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.500	35.59	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर के अन्तर्गत ग्राम मानपुर में मेन रोड़ से देला नदी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.500	21.31	0.10

023

7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-काशीपुर के अन्तर्गत ग्राम मानपुर रोड़ से गेबिया नदी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	25.38	0.10
	योग:-	6.300	451.00	0.70

(कुल रुपये सत्तर हजार मात्र)

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/136334/2023

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23070220007

आवंटन पत्र दिनांक-11-JUL-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-

Voted

800-03-02से स्थानान्तरित)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					1800000	70000	0	1870000				
योग					1800000	70000	0	1870000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 872 / 20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-01.08.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, काशीपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।